न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 84 / 2016 (उदयपुर डिक्री)

1. टेका पिता भगा जी गमेती, जाति भील, निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल (बलीचा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. चेनराम पिता भगा जी गमेती, जाति भील, निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल (बलीचा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोती पिता भगा जी गमेती, जाति भील, निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल (बलीचा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती होमली बेवा नवा जी गमेती, जाति भील, निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल (बलीचा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. किशनसिंह पिता स्वर्गीय नवा जी गमेती, जाति भील, निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल (बलीचा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. केसर उर्फ केसी पुत्री स्वर्गीय नवा जी गमेती, जाति भील, निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल (बलीचा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
3. इन्स्ट्रीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट (IIM) जरिये निदेशक, बलीचा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 14.06.2016, प्र. सं. 83 / 14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री संदीप श्रीमाली अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मनीष श्रीमाली अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3
3. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. सं. 1

———:::———

निर्णय **दिनांक 28–11–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद

अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बचीला में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 3 रकबा 1.1450 भूमि स्थित है, जिस पर अपीलान्ट का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से 100 से भी अधिक वर्षो से चला आ रहा है। अतएवं धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार वादीगण खातेदार बन चुके हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के सभी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने मौके की जांच किये बिना तथा ओक्यूपाईड व अनओक्यूपाईड जमीन की लिस्ट बनाये बिना प्रतिवादी संख्या 3 के कहे अनुसार वादीगण की उक्त कब्जे शुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज कर दिया है, जो वादीगण के मुकाबले शून्य है। अतएवं निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित उक्त भूमियों का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि सरकारी होकर विधिक रूप से प्रतिवादी संख्या 3 को हस्तान्तरित की गयी है। इसी प्रकार के खण्डन का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि भूमि सरकार होकर विधिवत हस्तान्तरण किया गया है। प्रार्थी का कब्जा नहीं है तथा भूमियां प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज हो चुकी हैं। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से भी इसी आशय के खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीगण वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पूर्वजों के समय से बिना रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है ?..... वादीगण
2. वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि आई.आई.एम. के नाम दर्ज होकर इनका ही कब्जा चला आ रहा है। वादी का वाद आधारहीन होकर खारिज होने योग्य है ? ..... वादीगण
3. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति में अपने निर्णय दिनांक 14–06–2016 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। साथ ही अपने

तनकीवार निर्णय में वादी का राजस्थान राज्य के विरूद्ध होने से धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस 2 माह में नहीं दिये जाने तथा जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाने एवं नगर विकास प्रन्यास को धारा 98 सी.पी.सी. के तहत नोटिस नहीं दिये जाने का भी उल्लेख किया है।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–08–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08–08–2016 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल उसे दिनांक 12–08–2016 को शाम को प्राप्त हुई। दिनांक 13–08–2016 को शनिवार व दिनांक 14–08–2016 रविवार होने तथा दिनांक 15–08–2016 को स्वतंत्रता दिवस का अवकाश होने से अपील दिनांक 16–08–2016 को अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में अत्यल्प विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री मनीष श्रीमाली उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 नगर विकास प्रन्यास की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्षी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। बहस सुनने के बाद दिनांक 27–11–2018 को वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि प्रकरण साक्ष्य वादी के लिए लम्बित था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर धारा 80 सी.पी.सी. व धारा 98 सी.पी.सी. का हवाला देकर तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर दावा विधि विरूद्ध होने के आधार पर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। लोक अदालत में इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जाता है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मूलतः बिलानाम भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 30–08–2018 द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान नहीं होने का अभिमत व्यक्त किया है एवं विधि अनुसार भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 30–08–2018 में यह भी यह भी व्यक्त किया है कि लम्बित प्रकरणों में भी यही निर्णय लागू होगा। प्रकरण में मूलतः अपीलान्ट द्वारा यह भी वर्णित नहीं किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किस प्रकरण में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्थगन दिया है। जब यह सुस्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती तो स्थिति स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय वे अपीलान्ट/वादीगण का वाद विधि विरूद्ध होना मानकर जो निर्णय पारित किया है, उसमें प्रथम दृष्टया हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

टेका पिता भगा जी गमेती, जाति भील, नि. ग्राम सेठजी की कुण्डाल (बलीचा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसील गिर्वा व अन्य

अपील नं.....**84 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....14**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह.....**.11**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संदीप श्रीमाली** .....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री मनीष श्रीमाली .....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि**..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**.11**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।